

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(7)नविवि 3/2009पार्ट-II

जयपुर दिनांक 25 FEB 2013

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित) दिनांक 06.12.2012 के विनियम 16.2 के अनुरूप अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र एवं जयपुर नगर निगम क्षेत्र हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :-

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र हेतु -

1. सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक, श्री आर. के. शर्मा - अध्यक्ष
2. संबंधित जोन उपायुक्त - सदस्य
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि, श्री प्रदीप कपूर - सदस्य
4. श्री नीरज तिवारी, वरिष्ठ नगर नियोजक, जविप्रा - सदस्य सचिव

जयपुर नगर निगम क्षेत्र हेतु -

1. सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक, श्री आर. के. शर्मा - अध्यक्ष
2. आयुक्त (आयोजना), जयपुर नगर निगम - सदस्य
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि, श्री प्रदीप कपूर - सदस्य
4. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक, ननिज - सदस्य सचिव

सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक को प्रति प्रकरण मानदेय रूपयें 5000 दिये जायेंगे। समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 के विनियम 16.1 में दी गई प्रक्रिया एवं समय सीमा में निर्णय करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

(जी. एस. सघु)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
6. श्री आर. के. शर्मा, सेवानिवृत्त, मुख्य नगर नियोजक, जयपुर।
7. श्री प्रदीप कपूर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), नगर नियोजन भवन, जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर।
8. श्री नीरज तिवारी, वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
- ✓ 10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय